गोविंद घाट से हेमकुंड के लिए निकला यात्रियों का पहला जत्था, बुजुर्गों और बच्चों को फिलहाल यात्रा के लिए मनाही

हेमकुंड साहिब यात्रा पथ पर गूंजे जयकारे

चारधाम यात्रा

पंज प्यारों की अगुवाई में शुक्रवार को गोविन्द घाट से हेमकुंड के लिए रवाना होता पहला जत्था। ● हिन्दुस्तान

गोपेश्वर, संवाददाता। हिमालय में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए पंज प्यारों की अगुवाई में निशान साहिब के साथ पहला जत्था हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए रवाना हो गया है। पहले जत्थे में 650 से अधिक यात्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए है। यात्रा के लिए पहले दिन 1700 से अधिक यात्री हेमकुंड के लिए निकले हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलेंगे।

शुक्रवार को गोविन्द घाट गुरुद्वारा से भव्य समारोह और शबद कीर्तन के साथ और बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारों के साथ हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हुआ। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेन्द्र जीत सिंह बिन्द्रा, गोविन्द घाट गुरुद्वारा के मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने हेमकुंड साहिब यात्रा प्रारम्भ होने के अवसर पर सिरोपा भेंट कर सबका स्वागत किया। शुक्रवार को गुरुद्वारा श्री गोविन्दघाट से कड़ी पुलिस सुरक्षा एवं बैण्ड बाजों की धुन के साथ पंचप्यारों की अगुवाई में पवित्र निशान के साथ सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था श्री हेमकुण्ड साहिब के लिए रवाना हुआ। शुक्रवार को रात्रि विश्राम घांघरिया स्थित गुरुद्वारे में विश्राम के बाद 20 मई की सुबह जत्था श्री हेमकुण्ड साहिब के लिए रवाना होगा। श्री हेमकुण्ड साहिब के कपाट 20 मई को खुलेंगे। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यात्रियों की संख्या सीमित रखे जाने का निर्णय लिया गया है। पुलिस ने बताया बीमार व्यक्ति और 60 वर्ष से अधिक उम्र एवं बच्चों के लिए फिलहाल यात्रा की मनाही है। हेमकुंड यात्रा पर आने वाले सभी यात्री अपना पंजीकरण अवश्य कराएं।

केदारनाथ धाम में सहायता डेस्क बनाई

रुद्रप्रयाग। श्री केदारनाथ धाम में दर्शन हेतु आ रहे अत्यंत वृद्ध, असहाय व दिव्यांगजन श्रद्धालुओं के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु जिला कमांडेंट होमगार्ड्स द्वारा केदारनाथ धाम में एक सहायता डेस्क की स्थापना की गई है। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स निर्मल जोशी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु स्थापित सहायता डेस्क में प्रतिदिन सुबह व सायं के समय तीन-तीन होमगार्ड्स तैनात रहेंगे जो यात्रियों की यथासंभव मदद करेंगे।

रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आज खोले जाएंगे

गोपेश्वर। रुद्रनाथ मंदिर के कपाट शनिवार 20 मई को ब्रह्म मुहूर्त में पूजा विधान और वेद मंत्रों के साथ खुलेंगे। श्रद्धालु यहां 6 माह तक भगवान शंकर के दर्शन कर सकेंगे। रुद्रनाथ के पुजारी पंडित जनार्दन प्रसाद तिवारी ने रुद्रनाथ से बताया भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलने की पूरी तैयारी हो गई है।

पॉड टैक्सी और रोपवे प्रोजेक्ट पर काम जल्द

देहरादून, मुख्य संवाददाता। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हरिद्वार में पॉड टैक्सी के साथ ही हर की पैड़ी से चंडीदेवी और ऋषिकेश से नीलकंठ तक रोपवे प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करेगा। हरिद्वार में पॉड टैक्सी देश में इस तरह का पहला प्रयोग है। इधर, देहरादून में दो मार्गों पर मेट्रो चलाने के लिए भी केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। मेट्रो के एमडी जितेंद्र त्यागी ने शुक्रवार को अपनी टीम के साथ आगामी परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर निदेशक प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग बृजेश कुमार मिश्रा, निदेशक सिस्टम एंड रोलिंग स्टॉक अरविंद कुमार त्यागी आदि मौजूद रहे।

देहरादून नियो मेट्रो

दून में एफआरआई से रायपुर और आईएसबीटी से गांधी पार्क तक कुल 22.42 किमी ट्रैक पर नियो मेट्रो का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। रबर के टायर पर चलने वाली यह देश की पहली मेट्रो ट्रेन होगी। इसमें 25 स्टेशन निर्धारित किए गए हैं, तीन कोच की औसत मेट्रो में करीब सात सौ यात्री सफर कर सकेंगे।

हरिद्वार पॉड टैक्सी

हरिद्वार दर्शन के नाम से चलने वाली पॉड टैक्सी ज्वालापुर से भारत माता मंदिर तक कुल 21 किमी मार्ग पर चलेगी। इस पर करीब 1330 करोड़ रुपए खर्च आएगा। ड्राइवर लेस पॉड टैक्सी के एक केबिन में छह लोग तक बैठ सकते हैं। जो औसत 40 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। किराया 20 रुपये से 90 रुपये तक होगा।

हरकी पैड़ी - चंडीदेवी रोपवे

हर की पैड़ी से चंडी देवी मंदिर तक रोपवे के लिए भी टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, इसके लिए यूपी सिंचाई विभाग और वन विभाग से भूमि मिल गई है। इसकी लागत 160 करोड़ रुपए आएगी, इस रोपवे की कुल लंबाई 2.30 किमी है।

नीलकंठ रोपवे

ऋषिकेश आईएसबीटी से त्रिवेणीघाट होते हुए, पौड़ी जिले में नीलकंठ मंदिर तक करीब साढ़े छह किमी लंबे रोपवे के लिए टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कुल 6.48 किमी यह रोपवे बनने के बाद यात्री महज 17 मिनट में ऋषिकेश से नीलकंठ पहुंच सकेंगे।

उत्तराखंड 30s

देवप्रयाग में राजस्व उप निरीक्षक से मारपीट

देवप्रयाग। भूमि जांच को गए राजस्व उपनिरीक्षक भंवरदास के साथ मारपीट की गई। मामले को लेकर राजस्व उपनिरीक्षक ने थाना हिंडोलाखाल में आरोपी व्यक्ति जितेंद्र प्रसाद रतूड़ी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। देवप्रयाग तहसील के दुरोगी गांव के ग्रामीणों ने सीएम हेल्प लाइन पर गांव में अतिक्रमण को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। राजस्व उप निरीक्षक इसकी जांच को गए थे।

'प्रियंका होनी चाहिए पीएम पद का चेहरा'

हरिद्वार। कल्की पीठाधीश्वर और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद के लिए प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाना चाहिए। कहा कि मोदी को हराने के लिए पूर्ण विपक्ष को एक होना होगा। शुक्रवार को आचार्य प्रमोद कृष्णम भूपतवाला स्थित चेतन ज्योति पहुंचे। जहां उन्होंने आश्रम के अध्यक्ष महंत ऋषिश्वरानंद ने मुलाकात की। कहा कि प्रियंका लोकप्रिय चेहरा हैं।

दरोगा भर्ती घपले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर को हटाया

हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। दरोगा भर्ती घपले के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर चंचल शर्मा का तबादला विजिलेंस हल्द्वानी सेक्टर से पिथौरागढ़ जिला पुलिस में कर दिया गया है। मामले की जांच के बीच एकाएक हुए तबादले से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, विजिलेंस के अफसर तबादले को नियमित प्रक्रिया बता रहे हैं। लेकिन पुलिस महकमे के ही कुछ अफसर इसे भर्ती घपले की जांच से जोड़ रहे हैं।

वर्ष 2015 में हुई दरोगा भर्ती की जांच बीते साल अगस्त में शासन ने विजिलेंस को सौंपी थी। जांच का जिम्मा हल्द्वानी सेक्टर के इंस्पेक्टर चंचल शर्मा को दिया गया था। विजिलेंस ने पहली कार्रवाई करते हुए भर्ती संस्थान के कार्मिकों और नकल सिंडिकेट सहित कुल 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। जनवरी में विजिलेंस ने पुलिस मुख्यालय को भर्ती घपले के सबूत पेश किए थे। नतीजतन, 20 दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया। इस बारे में हल्द्वानी सेक्टर के एसपी विजिलेंस, प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि दरोगा भर्ती प्रकरण के जांच अधिकारी चंचल शर्मा का विजिलेंस में तीन साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था। जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे की जांच इंस्पेक्टर मनोहर सिंह दसौनी को सौंपी गई है।

दरोगाओं पर कार्रवाई के बाद बढ़ा दबाव

सूत्रों के मुताबिक पुलिस महकमे के कई अफसर दरोगाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते थे, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने सबूतों के आधार पर 20 दरोगाओं के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर दी। इससे अफसरों के अलावा नेताओं में भी नाराजगी बढ़ गई। चार माह से विजिलेंस की जांच पर ब्रेक लगा हुआ है। इसे भी अधिकारियों और नेताओं के दबाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

पूर्णागिरि में आग लगने पर दो घंटे तक रोके श्रद्धालु

टनकपुर, संवाददाता। पूर्णागिरि में एक पुजारी की धर्मशाला में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। मेला क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। पुलिस, फायर और मंदिर समिति के सदस्यों ने ढाई घंटे बाद आग पर काबू पाया। आगजनी के बाद दो घंटे तक श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोके रखा।

काली मंदिर के पास टेड़ी पुलिया के पास शुक्रवार सुबह तीन मंजिला धर्मशाला में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। पुजारियों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। मंदिर समिति के अध्यक्ष किशन तिवारी ने बताया कि हादसे में जनहानि नहीं हुई। लेकिन आग लगने से धर्मशाला में रखी गई सामग्री रजाई, गद्दे, कंबल, प्रसाद, नारियल, चुनरी सहित अन्य पूजा की सामग्री जलकर खाक हो गई।

बताया कि धर्मशाला विपिन तिवारी की है। आग लगने से करीब 40 से 50 लाख का नुकसान होने का दावा किया है। आग लगने की सूचना के बाद पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से श्रद्धालुओं को मुख्य मंदिर के अलावा भैरव मंदिर में दो घंटे तक रोके रखा।

राज्यपाल के टी-ऑफ के साथ गवर्नर्स गोल्फ कप शुरू

नैनीताल, संवाददाता। राजभवन नैनीताल परिसर स्थित गोल्फ कोर्स में शुक्रवार से तीन दिवसीय 18वां गवर्नर्स गोल्फ कप टूर्नामेंट शुरू हो गया है। प्रतियोगिता में विभिन्न स्थानों से 125 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं।

कोविड एवं आपदा के चलते तीन वर्ष बाद फिर शुरू हो रही प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि.) गुरमीत सिंह ने टी-ऑफ कर किया। राज्यपाल ने कहा कि गोल्फ प्रतियोगिता में देश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे खिलाड़ी उत्तराखंड के लिए ब्रांड एंबेसडर हैं। यहां खेलने वाले खिलाड़ी गोल्फ खेल के साथ ही नैनीताल समेत अन्य पर्यटक स्थलों का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि गोल्फ के प्रति युवाओं में रुचि लगातार बढ़ रही है। इस प्रतियोगिता में छह वर्ष से लेकर 100 वर्ष की आयु वाले सुपर वेटरन प्रतिभाग कर रहे हैं।

यहां सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, कुमार्क कमिश्नर दीपक रावत, अपर सचिव स्वाति एस.भदौरिया, एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट, एडीसी राज्यपाल मेजर तरुण कुमार और अमित श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक सूचना डॉ.नितिन उपाध्याय आदि मौजूद रहे।

अंतर धार्मिक विवाह के खिलाफ बंद का ऐलान

कोटद्वार,संवाददाता। विहिप और बजरंग दल ने पौड़ी में अंतरधार्मिक विवाह को अनुचित बताते हुए इसका विरोध किया है। विरोध स्वरूप विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया। बाजार बंद करने की चेतावनी भी दी गई है।

विहिप धर्म प्रसार प्रमुख गढ़वाल संभाग अवधेश कुमार ने कहा कि वर्तमान में इस शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे विहिप धर्मांतरण और राष्ट्रांतरण की दृष्टि से देखता है और इसका पुरजोर विरोध करता है। यह एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत किया जा रहा है। चेतावनी दी कि इस विवाह के विरोध में 28 मई को कोटद्वार से लेकर श्रीनगर तक बाजार बंद कराया जायेगा और प्रदर्शन किए जाएंगे।

छावनी परिषद, क्लेमेन्टटाउन

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आवेदक द्वारा इस कार्यालय को गृहकर के नामान्तरण हेतु शपथपत्र/विक्रयपत्र/दानपत्र संलग्न कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

क्र० सं०	नाम विक्रेता	आवेदक/क्रेता का नाम	खसरा संख्या	मकान संख्या	स्थान	उद्देश्य
1.	स्व० श्रीमती विमला देवी खत्री पत्नी स्व० पाल सिंह खत्री	श्रीमती जमुना देवी पत्नी श्री भुपचन्द खत्री पुत्री स्व० श्री पाल सिंह खत्री	18 मि०	123	कैम्प एरिया क्लेमेन्ट टाउन	मृत्यु के उपरान्त

यदि किसी व्यक्ति को इस गृहकर के नामान्तरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति समस्त दस्तावेजों सहित छावनी परिषद कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि की समाप्ति के उपरान्त किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा भवन के गृहकर का नामान्तरण आवेदक के नाम पर दर्ज कर दिया जायेगा।

पत्रांक- 264/ सी.बी.सी./472
कार्यालय छावनी परिषद, क्लेमेन्टटाउन, देहरादून।
दिनांक: 19.05.2023

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद, क्लेमेन्टटाउन।

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि०
विद्युत वितरण खण्ड, बड़कोट
CAN- UA 40109 UP 2001 SGC 025867

ई-निविदा सूचना

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बड़कोट के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों को कराने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत्त लाईसेन्सधारी ठेकेदारों/ आपूर्तिकर्ता जो आयकर, ई०पी०एफ०, जी०एस०टी० में पंजीकृत हों, से मुहरबन्द निविदायें दो भागों में (प्रथम भाग में धरोहर धनराशि, सम्बन्धित प्रपत्र, नियम शर्तें एवं द्वितीय भाग में दरें) जो कि अनुबन्ध की तिथि से 180 दिन वैध हो, ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, निविदा में प्रथम भाग में लगाये जाने वाले प्रपत्र का मूल्य विवरण तथा अन्य समस्त नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र से अवलोकन करना सुनिश्चित करें, जो कि उत्तराखण्ड शासन की ई-निविदा वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर प्राप्त किये जा सकते है।

ई-निविदा संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (जी०एस०टी० अतिरिक्त) रू० लाख में	अनुमानित लागत (जी०एस०टी० अतिरिक्त) रू० में	धरोहर धनराशि रू० लाख में	निविदा क्रय करने हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं समय	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन एवं ऑफ लाईन जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	ऑनलाईन एवं ऑफ लाईन निविदा खुलने की तिथि एवं समय
01/2023-24	विद्युत वितरण खण्ड बड़कोट के अन्तर्गत 33/11 के०वी० उपसंस्थान आरकोट के परिधान, अनुश्रवण मीटर रीडिंग एवं बिल वितरण आदि का कार्य। वित्तीय वर्ष 2023-24 (एक वर्ष) हेतु बाह्य एजेंसी के माध्यम से संपादित कराये जाने का कार्य।	13.81	1180	0.42	03.06.2023 (14:30 बजे तक)	05.06.2023 (14:30 बजे तक)	05.06.2023

पत्रांक : 323/वि०वि०ख०ब०/टी०-7 दिनांक : 18/05/2023
अधिशासी अभियंता
"राष्ट्र हित में बिजली बचायें" "टोल-फ्री नं0 -1800-419-405"

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
कॉरपोरेट आईडेन्टीटी संख्या : U40109UP2001SG025867/2358
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नैनीडांडा

ई-निविदा सूचना

विद्युत वितरण खण्ड, नैनीडांडा के अन्तर्गत निम्न वर्णित कार्यों के निष्पादन हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसमें उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त विद्युत ठेकेदारी 'ए' श्रेणी लाईसेन्स प्राप्त (जी०एस०टी. ई०पी०एफ व ई०एस०आई में पंजीकृत) हो तथा पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदाएं दो भागों में जिसमें प्रथम भाग में वांछित जी०एस०टी, ई०पी०एफ, ई०एस०आई, धरोहर धनराशि किसी भी बैंक/डाकघर की एफडीआर/सीडीआर/राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नैनीडांडा के पक्ष में बंधक होनी चाहिए एवं अन्य शर्तें जो निविदा से सम्बन्धित हो तथा द्वितीय भाग में दरें जो कि निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 06 माह के लिए वैध हो आमन्त्रित की जाती है बिना प्रथम भाग के निविदा भाग दो नहीं खोली जायेगी। यदि निविदा खुलने के दिन किसी कारणवश कार्यालय बन्द रहता है तो अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार है कि बगैर कारण बताए समस्त अथवा किसी भी ई-निविदा को निरस्त कर सकते हैं। कार्य अन्य विवरण के लिये वेबसाइट www.uktenders.gov.in को देखें।

ई-निविदा संख्या	ई-निविदा प्रपत्र क्रय राशि (जीएसटी सहित)	कार्य का विवरण	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	ई-निविदा क्रय करने हेतु अन्तिम तिथि एवं समय	ई-निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	ई-निविदा प्रपत्र आनलाइन एवं ऑफलाइन निविदा प्रथम भाग खुलने की तिथि एवं समय
01/EDDN /23-24	रू0 1180/-	33/11 केवी सबस्टेशन चौकीसैण अन्तर्गत अनुरक्षण, बिलिंग एवं उपभोक्ता शिकायतों का निराकरण आदि कार्य।	0.34	दि0. 08.06.2023 16.00 बजे तक	दि0. 09.06.2023 11.00 बजे तक	दि0. 09.06.2023 15.00 बजे तक

पत्रांक : 374/विविखनै/टी-6
दिनांक : 19.05.2023
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, नैनीडांडा
विद्युत बिलों के 24x7 आनलाईन भुगतान हेतु www.upcl.org पर जायें
"राष्ट्र हित में बिजली बचाएं" (Customer Care Toll Free no. 1800 419 0405)

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (नगरीय) रूड़की- 247667
दूरभाष:- 01332-272409, कॉरपोरेट आई०डी० संख्या (CIN) U401094UP2001SGO25867/2358

पत्रांक:- 2418/वि0.वि.ख0.न0.रू0/ दिनांक:- 18.05.2023

विद्युत उपभोक्ताओ के लिए महत्वपूर्ण सूचना

इस खण्ड के अन्तर्गत आने वाले समस्त सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओ को सूचित किया जाता है कि विद्युत देयों की वसूली करने हेतु एक वृहद अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु निम्नलिखित तिथियों में उनके सामने लिखे स्थानों पर शिविर आयोजित किये जा रहे है। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि अपने संयोजनों से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित शिविर में पहुँचकर उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता से सम्पर्क करने का कष्ट करें।

शिविर अवधि माह 05/2023

क्रम सं0	दिनाँक	उपखण्ड - प्रथम एस0डी0ओ0 आकाश सिंह- 9412074620 जे0ई0 रमन कुमार- 9412073419	उपखण्ड-द्वितीय एस0डी0ओ0 अनिता- 9411111770 जे0ई0 सतीश कुमार-9411111395 जे0ई0 राहुल गिरी (प्रभारी)-9411111398	उपखण्ड-बहेड़ी एस0डी0ओ0 अरवनी कुमार- 9412999260 जे0ई0 गोपेन्द्र सिंह रावत- 9411137763
1	20.05.2023	चन्दपुरी / खंजरपुर	ढंढेरी / टोराछाव्यापगुर	औरंगाबाद
2	22.05.2023	सौत मौल्हला / गौलम सबस्टेशन	बेलडा / बेडपुर	अन्नेकी
3	23.05.2023	गणेश चौक / आदर्श नगर	चार मिनार पिचन कलियर / मेघपडक्ला	हजारावाल्ल
4	24.05.2023	पंचायती धर्मशाला / पठानपुरा	मौरीडेरा / ईमलीखेड़ा	दौलतपुर
5	25.05.2023	चन्दपुरी / खंजरपुर	कान्हापुर / भगेडी	डालूवाला मजबा
6	26.05.2023	लाल कुर्ती / सोलानीपुरम	नागल / रहमतपुर	खालाटीरा
7	27.05.2233	गणेश चौक / आदर्श नगर	बाजूहेड़ी / पिचन कलियर बिजलीघर	शान्तरराज
8	29.05.2023	पंचायती धर्मशाला / पठानपुरा	मलकपुर माजरा / जौरासी	मूलवासपुर
9	31.05.2023	चन्दपुरी / खंजरपुर	मुकरपुर / झग्गपुर बिजलीघर	रायंडवाला

Pay Electricity bill online 24x7 from www.upcl.org"
विद्युत बिलो के 24X7 ऑनलाईन भुगतान हेतु www.upcl.org पर जाएं"
अधिशासी अभियन्ता
"राष्ट्रहित में बिजली बचायें"

अनुलग्नक-I

स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में ट्रांसमिशन योजना के प्रकाशन के लिए प्रारूप जनता से टिप्पणियां// प्रतिनिधित्व आमंत्रित करता है

पब्लिक नोटिस

"खंडूखाल रामपुरा ट्रांसमिशन लिमिटेड" का पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, निर्माण भवन, राव तुलाराम मार्ग, वसंत विहार, आर्मी हॉस्पिटल एंड रेफरल के सामने, नई दिल्ली-110 057 में है, जिसने बिजली के संचारण के लिए या टेलीफोनिक संचार के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत बिजली लाइनों या विद्युत संयंत्र को रखने के लिए भारत सरकार को सभी शक्तियां प्रदान करने के लिए आवेदन किया है / सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए टेलीग्राफ लाइनों और पदों को रखने के संबंध में या इस प्रकार स्थापित या रखरखाव किए जाने वाले टेलीग्राफ के प्रयोजन के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास मौजूद कार्यों का उचित समन्वय और कमीशनिंग के बाद सर्वेक्षण, निर्माण, स्थापना, निरीक्षण, निर्माण और अन्य कार्य करेगा, निम्नलिखित पारेषण योजनाओं के लिए संचालन, रखरखाव और अन्य कार्य।

ट्रांसमिशन योजना का नाम: "खंडूखाल रामपुरा ट्रांसमिशन लिमिटेड "

योजना के तहत कवर किए गए कार्य:

क्रमिक संख्या	ट्रांसमिशन स्कीम का दायरा	क्षमता / किमी
1	400 केवी डी/सी खंडूखाल (श्रीनगर) - रामपुरा(काशीपुर) लाइन (हिन एचटीएलएस *)	194 किमी (लगभग)
2	रामपुरा (काशीपुर) में 1x80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर खंडूखाल (श्रीनगर) - रामपुरा (काशीपुर) लाइन के प्रत्येक सर्किट पर समाप्त होता है	420 केवी 80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपकरण -2 नं। 420 केवी, 80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर- 2 नं।
3	1 नं. रामपुरा (काशीपुर) में 400 केवी लाइन बे की	400 केवी लाइन बे -1
4	खंडूखाल (श्रीनगर) में मौजूदा 400 केवी बे का उन्नयन	400 केवी लाइन बे -2 के लिए उन्नयन कार्य
5	मौजूदा 1 नं. रामपुरा (काशीपुर) में संबद्ध टाई बे के साथ लाइन बे और आईसीटी बे सहित 400 केवी व्यास का	400 केवी लाइन बे के लिए उन्नयन कार्य - 1 नं। 400 केवी आईसीटी बे के लिए उन्नयन कार्य - 1 नं। टाई बे -1 नं का उन्नयन।

इस योजना के अंतर्गत कवर की गई पारेषण लाइनें निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर गुजरेंगी: -

परियोजना का नाम: 400 केवी डीसी लाईसेन्स (श्रीनगर) से रामपुरा (काशीपुर) ट्रांसमिशन लाइन

गांवों की सूची

क्रमिक संख्या	जिला	तहसील	गांवों
1	पौड़ी	श्रीनगर	खंडूखाल, कंडी, सवांडू, गोंडी लगा सवांडू, डेल, कंडामल्ला, कंडातल्ला, कंडोली, बड़ुला, सपलाना, गिरगांव, जोगियाना लगा गिरगांव, कोटि लगा गिरगांव..
2	पौड़ी	पौड़ी	कुरियाली मल्ली, अशनोली, छतकोट, आमकोट, मिटाई मल्ली रेवाडी बिचली, बछेला डंडारी टल्ली, डोबल, कमंद गुठ, डंडाल गांव चंद्रोल राय गुंथ राय बिचाली बिचाली गछोली, डोबिला, मौमनी मल्ली, रछुली पसुद, मासी, सिलेट, बामना गांव, मलनाडो दद्दी, गड़ीडला, गिरोडा, सुजान गांव, लगुड़ा, गिरोडा, खंडा तल्ला खंडा, रिवोली, नगर, बंडियाल, गदलिंग, बंडियाल, सुरसू, सुरान गांव लगा लाडंक, डंक, रिगवाड़ गांव, लगा कांडा, कामद गुठ।
3	पौड़ी	सतपुली	मलेठी, उलखेत, हंडुल्ला तल्ला, हंडुल्ला मल्ला,
4	पौड़ी	लैंसडाउन	पुंडियार, मंजकोट, किमार, महार गांव, डंगवाल खेत, भुवाली, कोटा, लमराडा, शैली, डौंड, जलेला, लूण्या, बरस्यर, गवरी, जादनगांव, पालीगांव, कोटा, उमरीखेत, कालसी, डबरा।
5	पौड़ी	कोटद्वार	अल दाला, सैदपुर, जावरा, झामर गढ़ी, तल्ली, झमार गढ़ी, मल्ली।
6	बिजनौर	नगीना	अंदुवाला, अनूप नगर, औरंगाबाद उर्फ लालवाला, औरंगजेब पुर शाहली, बंसुवाला, बावन सराय, भजरावाला, चाहरवाला दामोदरवाला, इस्लामाबाद, इस्लामपुर उर्फ कुतुबवाला, जहानाबाद, कयामनगर, दोदरराजपुर, कुजेता, मनौवरपुर, सैद मिठौपुर, मिरजलीपुर, चौहर उर्फ भोजवाला, मोहम्मदपुर, गढ़ी मुर्तजाबाद उर्फ गुलेरियरा, राधोदास पुर, रहमापुर, उस्मापुर रामनगर, डब्बा, रसूलपुर मिठे, सादातपुर, गढ़ी शाह अलीपुर, कोटरा, सुलेमा शिकोह पुर, सुंदर वाली, तारा पुर, उमरपुर, बरेखेड़ा
7	बिजनौर	धामपुर	अभयराजपुर, अकबरपुर जामिन मान, अल्लाहपुर मोखम, औरंग शाहपुर नारायण, बादशापुर शाह मोहम्मद, बादशापुर लक्ष्मी सेन, बहादुर नागा, फतेहपुर जमाल उर्फ मनोहर वली, फिरोजपुर अमरोल गैर, अहतमाली, हरकिशन पुर, हरपुर (अफजलगढ़) हरपुर (धामपुर), हाजी पुर मुजंद, राय जाफरावाद, जगजीवन पुर, सूजिस्तानाबाद, कोटरा रप्पा हवेली, मोहम्मद जलीपुर लालनपिंग, मोहम्मदपुर जमाल, मोहम्मदपुर राजौरी, पुराद नगर, नगला माणक, नवादा हकीमपुर गोपाल, नवादा सैदपुर जलाल, सादातावाड, सुआवाला
8	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	फेजुल्लागंज, फरीद नगर, मालपुरा लक्ष्मीपुर, मोहम्मद गंज, रघुवाला, रामनावाला
9	रामपुर	स्वर	पट्टी कलां
10	उधमसिंहनगर	काशीपुर	अमियावाला, असलतपुर, बबेरखेड़ा, बांसखेड़ा कलां, बांसखेड़ा खुर्द, बरखेड़ा पाण्डेय, बरखेड़ा राजपूत, बरखेड़ी, बसई, चाणाकपुर, डभौरा ऐहतमाली, डभौरा मुसलकम, देवी पुरा, ढाकिया कलां, ढोकरी वकील, गिरधाई, जगनन्नापुर, जैतपुर यासीवाला, कनक पुर, खरसाली, खरसाया, कुंदेरेडी, मुरलीवाला नगरिया सुलान, पच्चावाला, पट्टी बाजार, शाह गंज, रिंव लाल पुर डुल्लू, सीतारामपुर, तालाबपुर।

मार्ग संरेखण की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध है। एतद्द्वारा आम जनता को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले (20.07.2023) से दो महीने के भीतर प्रस्तावित पारेषण प्रणाली पर लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अवलोकन/प्रतिनिधित्व करने के लिए नोटिस दिया जाता है। अधिक विवरण के लिए कृपया संपर्क करें:

प्रवीण शरद दीक्षित (निर्देशक)
दूसरी मंजिल, निर्माण भवन, राव तुलाराम मार्ग, वसंत विहार,
आर्मी हॉस्पिटल एंड रेफरल के सामने, नई दिल्ली-110 057,
ईमेल: psd@mail.in फोन नं.: +91-11-2614077 Fax: +91-11-41052064

दिनांक: 20.05.2023

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
मुख्य शाखा, एस्टले हॉल, राजपुर रोड, देहरादून

परिशिष्ट IV (नियम 8(1)) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

चूंकि निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया देहरादून शाखा के अधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतीकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम संख्या 54) के अन्तर्गत और धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित निम्नलिखित ऋणी/ऋणियों पर मांग सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर ऋण राशि एवं ब्याज की राशि की अदायगी करने के लिए मांग सूचना दिनांक 04.02.2023 को जारी की थी। ऋणी द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा पुनः ऋणी और जनसाधारण को